'विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं को वैबसाइट पर डालना जरूरी'

चंडीगढ़, 7 जुलाई (बंसल): हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया करवाई जा रही ऐसी सेवाओं, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं और जिनके लिए समयसीमा निर्धारित की गई है की जानकारी जनसाधारण को देने के मकसद से संबंधित विभाग के सचिव द्वारा इन्हें स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभाग की वैबसाइट पर भी डालना जरूरी होगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से विभिन्न विभागों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे जुड़ी सभी अधिसूचित सेवाओं, उनकी समयसीमा, आवेदन-पत्र और सेवाएं प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने तथा अधिसूचित सेवाओं से जुड़ी सभी तरह की जानकारी को उनकी वैबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है।

उन्हें इसकी एक प्रति एम.एस.-वर्ड फॉरमेट में 31 जुलाई, 2021 तक आयोग की वैबसाइट पर भी भेजनी होगी, जिसे आयोग अपनी वैबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।